न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

प्रकरण 46/17

निर्णय :– दिनांक 25.9.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.7.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई, गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा, संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का नयापुर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल अनिल पुत्र [illegible] कौम ठाकुर निवासी [illegible] तहसील राजाखेडा ने आराजी खसरा नम्बर 64 पर [illegible] की किस्म [illegible] रकबा 0.8 वाके ग्राम [illegible] काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नही किया गया। ततपश्चात् रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्व होतो है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है। खडी फसल जब्त सरकार कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते है। शरह लगान 0.48 की 50 गुनी से शास्ति राशि 24/- रूपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पुरूषोत्तमलाल)
आर0टी0एस0
तहसीलदार, राजाखेडा

ग्राम 24 पृष्ठ सं० 49 क्रम सं० 05
TRA
राजाखेडा